



## ॥ आवश्यक सूचना ॥

(विज्ञापन संख्या-07/2025)

### Regarding Document Verification

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 07/2025 {PR No. 010263 (B&C) D.2025-26 एवं {PR No. 010264 (B&C) D.2025-26 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) अंतर्गत राज्य के सभी सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं Vision Centers (रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) में आँखों की देखभाल हेतु जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सफल संचालन के निमित्त नेत्र सहायक (Ophthalmic Assistant) के संविदागत 220 रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का Computer Based Test (CBT) दिनांक- 20/12/2025 को राज्य के विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी।

विज्ञापन के विस्तृत-निर्देश की कंडिका 12 में निहित कोटिवार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को CBT में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। CBT में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु दिनांक 18/03/2026 एवं 19/03/2026 को आमंत्रित किया गया है, जिसकी विस्तृत विवरणी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट <https://shs.bihar.gov.in> पर प्रकाशित है।

उक्त प्रकाशित सूची पूर्णतः औपबंधिक है। प्रमाण-पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को ही अंतिम मेधा सूची में कोटिवार रिक्त तथा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार चयनित किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification)/Counseling के लिए तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

तिथि :-	18 मार्च, 2026 एवं 19 मार्च, 2026					
समय :-	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
स्थान :-	संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14					
पद का नाम	कुल विज्ञापित पद	अभ्यर्थियों की कुल संख्या	प्रकाशित सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की क्रम संख्या			
			18.03.2026		19.03.2026	
			Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)	Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)
Ophthalmic Assistant	220	543	1 - 157	158 - 314	315 - 472	472 - 543

**Ophthalmic Assistant** पद हेतु अभ्यर्थियों का Document Verification/ Counseling दिनांक- 18.03.2026 एवं 19.03.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक दो पाली में निर्धारित किया गया है। पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30 AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30 PM निर्धारित है। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :-

- (1) उक्त पद के अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्धारित तिथि को वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के क्रमानुसार स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण-पत्र सत्यापन करायेंगे।
- (2) प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
- (3) इस संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित प्रमाण-पत्र सत्यापन संबंधी सभी निर्देशों का अनुपालन करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- (4) Shortlisted अभ्यर्थी उक्त तिथि को (प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार) विज्ञापन में उल्लेखित सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित/अपलोड किया गया है) अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रमाण-पत्र सत्यापन में अभ्यर्थी को निम्नलिखित Documents (मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा -
- दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है)।
  - ऑनलाईन भरे गये आवेदन-पत्र (Application) की प्रिन्ट कॉपी।
  - परीक्षक (Invigilator) द्वारा हस्ताक्षरित परीक्षा प्रवेश-पत्र (Admit Card-Candidate Copy) की प्रति।
  - फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा- Voter ID, AADHAR, PAN, Driving Licence इत्यादि (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है)।
  - जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
  - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
  - अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी अंक-पत्र/इन्टर्नशीप (यदि लागू हो तो) सहित डिग्री (दसवीं से अंतिम योग्यता तक) सर्टिफिकेट इत्यादि (जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में किया गया है)।**
  - आरक्षण का दावा करने से संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है:-
    - आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 12575 दिनांक- 09.07.2025 के आलोक में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 8962 दिनांक- 21.05.2025 के आलोक में केवल बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
    - Online आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
      - ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति** के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
        - स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
        - जाति प्रमाण-पत्र
      - ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले **पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग** के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
        - स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
        - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र - (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
      - ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
        - स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
        - आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (सा०प्र०विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के अनुसूची-1/प्रपत्र-1 में)।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के समक्ष प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- दिव्यांगता तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती से संबंधित आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत वैद्य प्रमाण-पत्र।
- विभागीय कर्मों के रूप में उम्र सीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकार से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र।
- किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- विज्ञापन में उल्लेखित प्रमाण-पत्र से संबंधित सभी नियमों का पालन करना आवेदक की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

(6) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाईन आवेदन में किया है। आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव हेतु **Cut-off date-01.08.2025** निर्धारित की गयी है। विस्तृत निदेश की कांडिका- 15 (xi) के आलोक में उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि यथा **28/08/2025** तक निर्गत होना आवश्यक है।

(7) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट- <https://shs.bihar.gov.in> पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

(8) Document Verification/ Counseling में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा।

(9) Document Verification के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का उक्त बिन्दु पर निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(10) Document Verification से संबंधित पृच्छाओं के जवाब/जानकारी हेतु Control Room के फोन नंबर **8544421978** पर संपर्क किया जा सकता है।

(राजेश कुमार)

प्रशासी पदाधिकारी-सह-  
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।